क्रम संख्या–77

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण.

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 26 मार्च, 2014 ई0

चैत्र 05, 1936 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 133/XXXVI(3)/2014/54(1)/2012

देहरादून, 26 मार्च, 2014

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"वेतन भुगतान (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक 2012"** पर दिनांक 03 मार्च, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 17 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

वेतन भुगतान (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2012

अधिनियम संख्या 17, वर्ष 2014

वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 को उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वेतन भुगतान (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 6 का संशोधन

2. वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 04 वर्ष 1936) की धारा 6 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :—

"6. समस्त वेतन का भुगतान बैंकों के चैक या तत्काल सकल भुगतान या राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण अथवा इलैक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा प्रणाली के द्वारा अथवा पोस्टल चैक द्वारा किया जायेगा :

परन्तु यदि नियोजित व्यक्ति का कार्य अस्थायी प्रकृति का है अथवा नियोजित व्यक्ति प्रवासी है और वह अपने अर्जित वेतन का नकद भुगतान प्राप्त करना चाहता है तो सेवायोजक कार्यक्षेत्र में तैनात सहायक श्रम आयुक्त के पद से अनिम्न अधिकारी की लिखित अनुमति के पश्चात् सम्बन्धित नियोजित व्यक्ति को वेतन का नकद भुगतान कर सकेगा।"

आज्ञा से,

के0 डी0 भट्ट,
प्रमुख सचिव।